व्यवहार न्यायालय, देवघर।
कोटेशन/निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना

पत्र क्रमांक : 172 **तिथि : 23.08.2023**

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक 1500/Accts. दिनांक 28.07.2023 के आलोक में बाबा बैद्यनाथधाम अतिथिगृह, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, देवघर में देखभाल और हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित फर्मों/पार्टियों/संविदाकार से **मुहरबंद कोटेशन/निविदा 30.08.2023 शाम 4:00 बजे तक** आमंत्रित की जाती है।

- इच्छुक फर्मों/पार्टियों/संविदाकार के पास गेस्ट हाउस सेवाओं/होटल सेवाओं की खानपान/देखभाल करने के लिए वैध प्रतिष्ठान/व्यापार लाइसेंस होना चाहिए। (दस्तावेज का प्रमाण संलग्न करें)।
- फर्मों/पार्टियों/संविदाकार को सरकारी/पीएसयू/प्रतिष्ठित निजी संगठन में कैटरिंग, गेस्ट हाउस की देखभाल के सफल संचालन का न्यूनतम तीन साल का अनुभव होना चाहिए (दस्तावेज के प्रमाण के रूप में कार्य आदेश और संतोषजनक समापन प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
- फर्मों/पार्टियों/संविदाकार के पास दक्षिण भारतीय भोजन, बहु व्यंजन (शाकाहारी व मांसाहारी) आदि बनाने/तैयार करने में विशेषज्ञ शेफ/रसोइया होना चाहिए।
- फर्मों/पार्टियों/संविदाकार के पास देखभाल करने के लिए निपुण कर्मी होने आवश्यक हैं जिन्हें, अतिथि गृह के आंतरिक व बाह्य सज्जा, साफ–सफाई व उद्यान का देखभाल करने में निपुणता हासिल हो।
- फर्मों/पार्टियों/संविदाकार के पास देखभालकर्मी, माली, नलसाज/पलम्बर, बिजली मिस्त्री, लॉण्ड्री एवं पेस्ट कंट्रोलर इत्यादि से संबंधित निपुण कर्मी होने आवश्यक हैं।

कोई भी अतिरिक्त विवरण, प्रभारी न्यायाधीश/नजारत, व्यवहार न्यायालय, देवघर के कार्यालय से कार्यालय अवधि में सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे के दौरान प्राप्त किया जा सकता है।

न्यायालय किसी भी समय कोटेशन/निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अंतिम तिथि : 30.08.2023

Manish
23/8/2023

प्रभारी न्यायाधीश
व्यवहार न्यायालय, देवघर।